(19)

(1)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2015 जिला–पन्ना

निगरानी 2333-I-15

बल्दू मृतक द्वारा विधिक वारिसान–

1. हीरालाल पुत्र स्व. श्री बल्दू,
2. परमलाल पुत्र स्व. श्री बल्दू,
3. देशराज पुत्र स्व. श्री बल्दू,
4. लल्लू पुत्र स्व. श्री बल्दू,
5. श्रीमती ललती वैवा स्व. श्री बल्दू, निवासीगण ग्राम किटहा, तहसील व जिला पन्ना म0प्र0
6. छोटेलाल पुत्र श्री बच्ची,
7. कृष्णगोपाल पुत्र श्री राजाराम, निवासी ग्राम इटवांखास, तहसील व जिला पन्ना म0प्र0
8. व्यासकुमार पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण, निवासी किशोरगंज, तहसील व जिला पन्ना म0प्र0
9. श्रीमती ऊषादेवी पत्नी श्री गणेश प्रसाद गंगेले, ग्राम इटवांखास, तहसील व जिला पन्ना म0प्र0
10. भरोसी पुत्र श्री दुर्जन पटेल
11. लच्छू पुत्र श्री मातादीन पटेल,
12. दीनदयाल पुत्र श्री दुर्जन पटेल,
13. घनश्याल पुत्र श्री मंगलिया कुशवाह,
14. राजाभईया पुंत्र श्री मंगलिया कुशवाह,
15. कालीचरन पुत्र श्री मंगलिया कुशवाह निवासीगण ग्राम किटहा, तहसील व जिला पन्ना म0प्र0

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1. मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर, जिला पन्ना, म0प्र0
2. बी.एस.तोमर, तत्कालीन तहसीलदार, पन्ना, वर्तमान सेवानिवृत्त तहसीलदार, निवासी माईहोम कॉलोनी, छतरपुर रोड, नौगांव, जिला छतरपुर म0प्र0

R-2333/15

(2)

3. रघुनाथ बागरी, हल्का पटवारी, इटवाखास, तहसील व जिला पन्ना म0प्र0
4. अरविन्द मिश्रा, सहायक ग्रेड–3, प्रवाचक, तहसीलदार पन्ना म0प्र0

..... अनावेदकगण

न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला पन्ना द्वारा प्रकरण क्रमांक 07/अ–21/14–15 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 15.07.2015 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, वर्ष 1992–93 में पन्ना जिले में बन्दोबस्त कार्यवाही सम्पादित की गयी थी, जिसके दौरान आवेदकगणों को विधिवत रूप से सहायक बन्दोबस्त अधिकारी, द्वारा पृथक–पृथक प्रकरण क्रमांक दर्ज कर आदेश पारित किये गये थे। उक्त आदेशों के विरूद्ध मध्य प्रदेश शासन अथवा किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई अपील अथवा पुनरीक्षण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया था, ऐसी स्थिति में उक्त आदेश अपने स्थान पर अंतिम हो गये थे। जिसके विरूद्ध अब किसी भी प्रकार की कार्यवाही किया जाना वैधानिक दृष्टि उचित नहीं थी, इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय, अपर क़लेक्टर, जिला पन्ना द्वारा एक फर्जी शिकायत के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही प्रारंभ की गयी।
2. यहकि, अपर कलेक्टर, जिला पन्ना द्वारा उपरोक्त प्रकरण में कुछ पक्षकारों को कारण बताओ सूचनःपत्र जारी किया, जिसके संबंध में कुछ व्यक्तियों द्वारा जिनको सूचनापत्र प्राप्त हुये थे, उनकी ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विधिवत जबाव प्रस्तुत किया एवं बताया कि विवादित भूमि उनके स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि है, जिनके संबंध सहायक बन्दोबस्त अधिकारी, पन्ना द्वारा विधिवत रूप से आदेश पारित किये गये है। ऐसी स्थिति उपरोक्त आदेशों को बिना किसी कारण के निरस्त नहीं किया जा सकता। कुछ व्यक्तियों को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सूचनापत्र जारी ही नहीं किये गये और ना ही उन्हें प्राप्त हुए, ऐसी स्थिति में वह अपना जबाव अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सकें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

K. 2333.E/15 (3)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ट

जिला- पन्ना

प्रकरण कमांक पुनरीक्षण 2333/एक/2015

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
6-4-16	यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला पन्ना द्वारा प्रकरण क्रमांक 07/अ-21/2014-15 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 15.07.2015 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता सन् 1959 (जिसे आगे केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2- प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि तहसीलदार पन्ना द्वारा शासकीय भूमि विभिन्न व्यक्तियों के नाम से राजस्व अभिलेख में भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये गये है। उक्त आराजियाँ वर्ष 2012-13 तक मध्य प्रदेश शासन के नाम दर्ज रही। तहसीलदार पन्ना द्वारा म0प्र0 भू-राजस्व संहिता की धारा 115, 116 के तहत दर्ज किये जाने का उल्लेख किया गया है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि म0प्र0 भू-राजस्व संहिता की धारा 115 में तहसीलदार को उन्हीं प्रविष्टियों को शुद्ध करने के लिए संबंधित हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई के पश्चात् आदेश दिये जाने का प्रावधान है, जो उनके किसी अधीनस्थ पदाधिकारी द्वारा धारा 114 के अधीन तैयार किये गये भू-अभिलेख में की गयी हो। धारा 114 में	

R 2333.E/15

(4)

यह प्रावधानित कि नक्शे तथा भू-अधिकार पुस्तिकाओं के अतिरिक्त प्रत्येक गाँव के लिए खसरा या क्षेत्र पुस्तक और अन्य भू-अभिलेख जो विहित किये जाये अर्थात धारा 115 में तहसीलदार को यदि पता चलता है कि अधीनस्थ अधिकारी द्वारा पूर्व में कोई चली आ रही प्रविष्टी में किसी प्रकार की अशुद्धी कर दी गयी है, तो उसकी शुद्धी का आदेश दे सकता है। चूंकि उक्त आराजियों पर उपरोक्त व्यक्तियों के नाम पूर्व से राजस्व अभिलेख में भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज नहीं था, ऐसी स्थिति में धारा 115 के प्रावधान आकर्शित नहीं होते। उपरोकत शासकीय भूमियों पर विभिन्न व्यक्तियों के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज किये जाने का आदेश तहसीलदार द्वारा पारित किये गये है, जो अधिकारितारहित है। ऐसा प्रतिवेदन तहसीलदार पन्ना द्वारा अपर कलेक्टर, जिला पन्ना की ओर प्रेषित किया, जिसके आधार पर प्रकरण को स्वमेव निगरानी में पंजीबद्ध किया गया और अपर कलेक्टर, जिला पन्ना द्वारा अपने पारित आदेश दिनांक 15.07.2015 से अधीनस्थ न्यायालय तत्कालीन तहसीलदार पन्ना द्वारा उपरोक्त प्रकरणों में सहायक बन्दोबस्त अधिकारी के पारित आदेशों के अमल किये जाने संबंधित विधिवत जांच व सूक्ष्मता से परीक्षण किये बिना आदेश पारित किये गये है, जो उचित प्रतीत नहीं होते है। परिणाम स्वरूप अधीनस्थ न्यायालय (तत्कालीन तहसीलदार पन्ना) द्वारा उपरोक्त सभी प्रकरणों में पारित आदेशों को निरस्त किये जाने का आदेश पारित किया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की है।

3- प्रकरण में आवेदक के अभिभाषक द्वारा अपने

R 2393.5/15

तर्कों में यह बताया कि वर्ष 1992-93 में पन्ना जिले में बन्दोबस्त कार्यवाही सम्पादित की गयी थी, जिसके द्वारा आवेदकगणों को विधिवत रूप से सहायक बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा पृथक-पृथक प्रकरण क्रमांक दर्ज कर आदेश पारित किये गये थे। उक्त आदेशों के विरूद्ध मध्य प्रदेश शासन अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई अपील अथवा पुनरीक्षण प्रस्तुत नहीं किये गये थे। ऐसी स्थिति में उक्त आदेश अपने स्थान पर अंतिम हो गये है। ऐसी स्थिति में अब किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जा सकती थी। किन्तु अपर कलेक्टर, जिला पन्ना द्वारा एक फर्जी शिकायत के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर जो कार्यवाही की है, वह अपास्त किये जाने योग्य है।

आवेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्क में यह बताया कि अपर कलेक्टर, जिला पन्ना द्वारा सभी पक्षकारों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये बिना ही तथा कुछ पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किये गये जबाव पर विचार किये बिना आदेश पारित किया है। जबाव में यह उल्लेख किया था कि विवादित भूमि उनके स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि है, जिसके संबंध में सहायक बन्दोबस्त अधिकारी, पन्ना द्वारा विधिवत आदेश पारित किये गये है। प्रकरण के दौरान आवेदक बल्लू का देहान्त हो गया है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके वारिसानों को पक्षकार बनाये बिना मृतक के विरूद्ध आदेश पारित किया है, जो आरम्भतः शून्य होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

आवेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्क में यह बताया कि अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला पन्ना द्वारा समस्त आवेदकगणों को सूचना, सुनवाई

R 2333/15

(6)

एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना आदेश पारित किया गया है, जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है। ग्राम ईटवाखास का बन्दोबस्त वर्ष 1992 में प्रारम्भ हुआ था, उसका अंतिम प्रकाशन नहीं किया गया है जबकि वास्तविकता यह है कि बन्दोबस्त वर्ष 1992 में प्रारम्भ हुआ था और जिले में इसी के दौरान राजस्व कार्यवाहियाँ सम्पादित की गयी थी, जिसे किसी वरिष्ठ अपीलीय न्यायालय में चुनौती नहीं दी गयी है, केवल अंतिम प्रकाशन न किये जाने के आधार पर व्यक्तियों के वैधानिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। बन्दोबस्त के दौरान सहायक बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा राजस्व कार्यवाहियाँ की जाती है और उनके द्वारा ही विधिवत रूप से पृथक पृथक आदेश पारित किये हैं, जिसका वास्तविक अमल राजस्व अभिलेखों में तहसीलदार पन्ना द्वारा किया गया है और तहसीलदार पन्ना को संहिता की धारा 115, 116 में अमल किये जाने की अधिकारिता है। इस प्रकार कार्यवाही सक्षम अधिकारी द्वारा की गयी है, जिसे अपास्त करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटि की है।

आवेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्कों में यह बताया कि अपर कलेक्टर, पन्ना द्वारा उपरोक्त प्रकरण को अधिक समय बाद स्वमेव पुनरीक्षण में लिया गया है। जबकि लम्बे समय पश्चात् प्रकरण को स्वमेव पुनरीक्षण में नहीं लिया जा सकता। इस संबंध में 1994 आर.एन. 392, 2010 आर.एन. 273, 2011 आर.एन. 426, 2010 आर.एन. 409 उच्च. न्याया. के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये, अंत अभिभाषक द्वारा वर्तमान निगरानी स्वीकार किये जाकर अपर कलेक्टर, जिला पन्ना द्वारा पारित

कालावधि के भीतर होना चाहिए - 180 दिन के भीतर प्रयोग की जानी चाहिए। इसलिए उपरोक्त न्यायदृष्टांत को नजरअंदाज कर जो आदेश अपर कलेक्टर, जिला पन्ना द्वारा पारित किया गया है, वह स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6- उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर जिला पन्ना द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.07.2015 निरस्त किया जाकर सहायक बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा पारित पृथक-पृथक आदेशों को स्थिर रखा जाकर तहसीलदार पन्ना द्वारा राजस्व अभिलेखों में किये गये अमल के आदेश को स्थिर रखे जाने का आदेश दिया जाता है एवं निगरानी स्वीकार की जाती है।

सदस्य,